न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर म0प्र0

1- कनउवा तनय नथुवा अहिरवार
2- मुन्ना तनय नथुवा अहिरवार
3- दयाराम तनय नथुवा अहिरवार
4- बिन्दू तनय नथुवा अहिरवार
सभी साकिन ग्राम बिदारी तहसील जतारा
जिला टीकमगढ म0प्र0 . -- आवेदकगण

बनाम

पन्नालाल तनय मंशाराम मिश्रा
निवासी ग्राम बिदारी तह0जतारा
जिला टीकमगढ म0प्र0 -- अनावेदक

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0रा0 संहिता

आवेदकगण यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र पुनरीक्षण प्र0क्र0 122अ/19 सन् 02-03 कनउवा वगैरह बनाम पन्नालाल में न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9-3-05 से दुखित होकर अन्य आधारो सहित निम्न आधारो पर प्रस्तुत करते है -:

1- यहकि, अधीनस्थ पुनरीक्षण न्यायालय का आदेश अवैध व शून्य है उसे विधि के प्रावधानो के अंतर्गत स्थिर नही रखा जाना चाहिए।

2- यहकि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण द्वारा उठाए गए विधिक बिंदुओ पर कोई निष्कर्ष न निकाल कर विधिक त्रुटि की है।

3- यहकि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इस विधिक बिंदू पर कोई निष्कर्ष ही नही निकाला कि श्रीमान् कलेक्टर

(2)

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. . . . निग.821-III / 05 . . . . . . जिला . . . टीकमगढ़ . . . .

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8.2.17	1— आवेदक के अधिवक्ता अनिल सिंह उपस्थित अनावेदक की ओर से दिलीप गोस्वामी उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर के प्रकरण क्रमाँक 122 / अ—19 / 2002—03 में पारित आदेश दिनांक 09—03—2005 के विरूद्व म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— मैंने आवेदक एवं अनावेदक अधिवक्ता के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं रिकार्ड का अवलोकन किया। कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा आवदेकगणों को पूर्व से ही भूमि प्राप्त होने के आधार पर और वे भूमिहीन न होने से प्रदत्त की गई शासकीय भूमि को शासन के नाम दर्ज करने का ओदश पारित किया जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.03.2005 में की है। आवेदकगण की ओर से उक्त तथ्य के खण्डन में कोई दस्तावेज मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं किए है जिससे पारित आदेश में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। 3— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.03.2005 एवं कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.10.2002 यथावत रखते हुए यह निगरानी निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख वापिस किए जाकर प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (हस्ताक्षर) सदस्य	

[कृ. प. उ.